रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1992/अग्रहायण 4, 1914
No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 1992/AGRAHAYANA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1992

सा.का.नि. 895(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) है;

(ख) 'आवेदक" से उपभोक्ता या कोई ऐसा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उपभोक्ता अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित किसी उद्योग के हितों का संरक्षण करने में लगा हुआ है, जिसको ब्यूरो ने ऐसे जीवनक्षम और उपयोगी अनुसंधान कार्यकलाप में, जिसने सामूहिक उपभोग के उत्पादों का मानक चिह्न बनाने में महत्वपूर्ण

योगदान किया है या करने की संभावना है, पांच वर्षों की कालावधि के लिए लगाए जाने के लिए सिफारिश की है;

(ग) "आवेदन" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप क1 में कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(घ) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ङ) "केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्" से उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और संरक्षण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "समिति" से नियम 5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(छ) "उपभोक्ता" का वही अर्थ है जो उसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उसका है, और उसके अंतर्गत उस माल का, जिस पर शुल्क संदत्त किया जा चुका है, उपभोक्ता है;

(ज) "उपभोक्ता कल्याण निधि" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(झ) "शुल्क" से अधिनियम के अधीन संदत्त शुल्क अभिप्रेत है;

(ञ) "मानक चिह्न" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खंड (न) में उसका है;

(ट) "उपभोक्ताओं का कल्याण" के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और उनका संरक्षण है;

(ठ) उन शब्दों और पदों को, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उनको उस अधिनियम में क्रमशः हैं।

3. उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना :

केन्द्रीय सरकार के पास उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अन्य धन के साथ शुल्क की रकमों की पावना और विनिधानों से आय प्रत्याशित की जाएगी :

परन्तु यह कि ऐसी किसी रकम का, जिसके बारे में निधि में जमा किए जाने के पश्चात्, समुचित अधिकारी अपील प्राधिकारी या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावेदार को संदेय के रूप में आदेश दिया जाता है या निदेश दिया जाता है, निधि से संदाय किया जाएगा।

4. उपभोक्ता कल्याण निधि के लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण :

उपभोक्ता कल्याण निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा रखा जाएगा और उनकी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. समिति का गठन :

(1) उपनियम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा किए गए धन के उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी।

(2) समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्यकलाप और सार्वजनिक वितरण—मंत्री/राज्य मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में सचिव, जो समिति का उपाध्यक्ष होगा ;

(ग) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का अध्यक्ष ;

(घ) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

(ङ) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग;

(च) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो ;

(छ) सचिव, नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्यकलाप और सार्वजनिक वितरण, जो समिति का सदस्य सचिव भी होगा।

(3) समिति स्थायी समिति होगी।

6. समिति की प्रक्रिया :

(1) समिति की, जब कभी आवश्यक हो, बैठक होगी, किन्तु किन्हीं भी दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में समिति का उपाध्यक्ष ठीक समझे।

(3) समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) समिति की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को लिखित सूचना देकर, जो ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से दस दिन से कम की नहीं होगी, बुलाई जाएगी।

(5) समिति की बैठक की प्रत्येक सूचना में समिति का स्थान और दिन और घंटा विनिर्दिष्ट होगा और उसमें सव्यवहृत किए जाने वाले कारबार का विवरण होगा ।

(6) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की गई हो और कम से कम चार अन्य सदस्य न उपस्थित हों।

7 समिति की शक्तियां और कृत्य :

(1) समिति को :

(क) किसी आवेदक से उसके समक्ष या यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों लिखितों अथवा आवेदक की अभिरक्षा और नियंत्रण में वस्तुओं को, जो आवेदक के समुचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने ;

(ख) किसी आवेदक से किन्हीं ऐसे परिसरों में, जहां से ऐसे क्रियाकलापों को, जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि वे उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए है, किया जाना कथित है, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्यक्रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जाने की अपेक्षा करने की ;

(ग) आवेदक के लेखाओं की, अनुदान का उचित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, लेखा परीक्षा कराए जाने,

(घ) किसी आवेदक से, किसी व्यतिक्रम या त्रुटि और से तात्विक जानकारी के छिपाने की दशा में समिति के मंजूर किए गए अनुदान का एकमुश्त प्रतिदाय करने और अधिनियम के अधीन अभियोजन के अध्यधीन होने की अपेक्षा करने ;

(ङ) किसी आवेदक से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय किसी राशि को वसूल करने ;

(च) किसी आवेदक या किसी वर्ग के आवेदकों से अनुदान के उचित उपयोग को उपदर्शित करने वाली कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने ;

(छ) वास्तविक असंगतता होने या तात्विक विशिष्टियों में अशुद्धता के आधार पर उसके समक्ष रखे गए किसी आवेदन को नामंजूर करने ;

(ज) किसी आवेदक को, उसकी वित्तीय प्रास्थिति और लिए जाने वाले क्रियाकलाप के महत्व और उसकी प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अनुदान के रूप में न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने ,

(झ) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या ब्यूरो में उपभोक्ता कल्याण निधि में से व्यय उपगत करने के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं/प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मोटे तौर पर मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाने ,

(ञ) फायदाप्रद और सुरक्षित सैक्टरों का, जहां उपभोक्ता कल्याण निधि में से विनिधान किया जा सकता है, परिलक्षित करने और तद्नुसार सिफारिशें करने की शक्ति होगी।

(2) समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उसमें तात्विक ब्यौरों की जांच न कर ली हो और सदस्य सचिव द्वारा तद्नुसार विचार करने के लिए सिफारिश न की हो ।

8 उपभोक्ता कल्याण निधि में उपलब्ध जमा रकम के उपयोग के लिए प्रयोजनों का विनिर्देश —

समिति निम्नलिखित के लिए सिफारिशें करेगी :

(क) किसी आवेदक को अनुदान उपलब्ध कराना ;

(ख) उन मानक चिन्हों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए आवश्यक समझे जाएं, संबंधित क्रियाकलापों के लिए ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों को उपलब्ध कराना ,

(ग) उपभोक्ता कल्याण निधि में उपलब्ध धन का विनिधान ,

(घ) किसी उपभोक्ता विवाद में, उसके अन्तिम न्याय निर्णयन के पश्चात, परिवादी या किसी वर्ग के परिवादियों द्वारा उपगत विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान उपलब्ध कराना;

(ङ) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ता कल्याण के लिए आवश्यक और समीचीन होने वाला विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुदान उपलब्ध कराना।

[फा. संख्या 313/3/90-सी. एक्स-10(पार्ट)]

जोगिन्दर पाल सिंह

अवर सचिव

कीमत रुपए

प्ररूप क-1

(उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 का नियम 8 देखिए)

(महत्वपूर्ण.—कृपया ऐसे सही ब्यौरे देते हुए, जिन्हें मांगा गया है, जो सत्यापनीय कार्यकलाप की सही स्थिति पर आधारित हों, किसी ऐसी तात्विक जानकारी को छिपाना कारित किए बिना जिससे यदि मालूम हुई तो, अधिनियम के अधीन अभियोजन होगा, इस प्ररूप को भरें।)

1. आवेदक का नाम और पूरा पता
2. नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन आवेदक की प्रास्थिति
3. प्रयोजन जिसके लिए रकम अपेक्षित है (कृपया संक्षेप में प्रयोजन बताएं);
4. अपेक्षित अनुदान की रकम
5. किए जाने वाले क्रियाकलाप की प्रकृति
6. कुल रकम जो आवेदक द्वारा उपगत की गई है। जिसका विनिधान किया गया है या जिसको आवेदक द्वारा उपगत किए जाने की संभावना है।
7. अतिशेष रकम के निधिकरण के स्रोत :
8. समाकलित क्रियाकलापों की समय अनुसूची .
9. गत पांच वर्षों के दौरान आवेदक के, विरुद्ध न्यायालय में आरम्भ किए गए अभियोजन के यदि कोई हों, ब्यौरे।

घोषणा

(आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं) इसमें इसके पूर्व दी गई विशिष्टियां ठीक और सही हैं। कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। वित्तीय सहायता यदि दी गई तो, उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रास्थिति और संरक्षण अथवा मानक चिन्हों के घोषित प्रयोग के लिए रखी जाएगी (जो लागू न हों, उसे काट दीजिए)।

तारीख——————

स्थान

आवेदक

सेवा में

सदस्य सचिव,

समिति (उपभोक्ता कल्याण निधि)

कृषि भवन, नई दिल्ली

सदस्य-सचिव की सिफारिश

आवेदन में दिए गए वास्तविक ब्यौरों का मंत्रालय/के विभाग/ ... अभिकरण जो उस विषय में प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध हैं, के परामर्श से, सत्यापन कर लिया गया और वे सही/गलत पाए गए हैं आवेदन के दावा पर समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए सिफारिश की जाती है। (कृपया, अपनी अपनी सिफारिश के समर्थन में कारण दें)।

सदस्य-सचिव

सदस्य (उपभोक्ता कल्याण निधि)

समिति की सिफारिश

(तारीख) को हुई बैठक में किए गए विचार विमर्श के अनुसार उपभोक्ता कल्याण निधि में से ...... रुपए (..............शब्दों में) के अनुदान के लिए सिफारिश की जाती है।

अध्यक्ष

समिति

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1992

NO. 29/92—CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 895(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 37, read with section 12D of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Consumer Welfare Fund Rules 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), or, as the case may be, the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "Applicant" means Consumer or any voluntary Consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force, and engaged, for a period of five years, in protecting the interests of consumers, or any industry as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), recommended by the Bureau to be engaged, for a period of five years, in viable and useful research activity which has made, or is likely to make, significant contribution in formulation of standard mark of the products of mass consumption;

(c) "Application" means an application in Form A1, appended to these rules;

(d) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards constituted under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(e) "Central Consumer Protection Council" means the Central Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), for promotion and protection of rights of consumers;

(f) "Committee" means the Committee constituted under rule 5;

(g) "Consumer" has the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), and includes consumer of goods on which duty has been paid;

(h) "Consumer Welfare Fund" means the fund established by the Central Government under sub-section (1) of section 12C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944);

(i) "Duty" means the duty paid under the Act;

(j) "Standard mark" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(k) "Welfare of the Consumers" includes promotion and protection of rights of consumers;

(l) Words and expressions used in the rules and not defined but defined in the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Establishment of Consumer Welfare Fund.—There shall be established a Consumer Welfare Fund with the Central Government into which credits of amounts of duty and income from investment along with other monies specified in sub-section (2) of section 12C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) shall be accredited :

Provided that any amount having been credited to the Fund is ordered or directed as payable to any claimant by orders of proper officer, appellate authority or court, shall be paid from the Fund.

4. Maintenance of Accounts and Records of Consumer Welfare Fund.—Proper and separate accounts in relation to the Consumer Welfare Fund shall be maintained by the Central Government and shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.

5. Constitution of the Committee.—(1) The Committee constituted by the Central Government under sub-rule (2), shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Consumer Welfare Fund for the welfare of the consumers, to carry out the purposes of these rules.

(2) The Committee shall consist of the following Members, namely :—

(a) The Minister/Minister of State for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution who shall be the Chairman of the Committee;

(b) Secretary, Department of Expenditure in the Ministry of Finance who shall be the Vice-Chairman of the Committee;

(c) Chairman, Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue of the Ministry of Finance;

(d) Member (Central Excise) of the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue of the Ministry of Finance;

(e) Secretary, Department of Rules Development;

(f) Director General, Bureau of Indian Standards;

(g) Secretary, Ministry of Civil Supplies Consumer Affairs and Public Distribution, who shall also be the Member-Secretary of the Committee;

(3) The Committee shall be a standing Committee.

6. Procedure of the Committee.—(1) The Committee shall meet as and when necessary, but not more than three months shall intervene between any two meetings.

(2) The Committee shall meet at such time and place as the Chairman, or in his absence the Vice-Chairman of the Committee may deem fit.

(3) The meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman, and in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Committee.

(4) Each meeting of the Committee shall be called, by giving notice in writing to every member of not less than ten days from the date of issue of such notice.

(5) Every notice of the meeting of the Committee shall specify the place and the day and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat.

(6) No proceeding of the Committee shall be valid, unless it is presided over by the Chairman or Vice-Chairman and a minimum of four other members are present.

7. Powers and Functions of the Committee.—(1) The Committee shall have power:—

(a) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorised Officer of the Central Government, or as the case may be, the State Government, such books, accounts, documents, instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;

(b) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises from which activities claimed to be for the welfare of Consumers, are stated to be carried on, to a duly authorised officer of Central Government or, as the case may be, State Government;

(c) to get the accounts of the applicant, audited for ensuring proper utilization of the grant;

(d) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;

(e) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;

(f) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilization of the grant.

(g) to reject an application placed before it on the basis of involvement of factual inconsistency, or inaccuracy in the material particulars;

(h) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;

(i) to require Central Consumer Protection Council or the Bureau, to formulate broad guidelines for considering the projects|proposals for the purpose of incurring expenditure from the Consumer Welfare Fund;

(j) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Consumer Welfare Fund may be made and make recommendations, accordingly.

(2) The Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member-Secretary.

8. Specification of Purposes for Utilization of credits available in Consumer Welfare Fund.—The Committee shall make recommendations :—

(a) for making available grants to any applicant;

(b) for making available grants recommended by the Bureau for activities relating to standard marks, which may be considered essential by the Central Government, for the welfare of the consumers;

(c) for investment of the money available in the Consumer Welfare Fund;

(d) for making available grants, for reimbursing legal expenses incurred by a complainant, or class of complainants in a consumer dispute, after its final adjudication,

(e) for making available grants for any other purpose recommended by the Central Consumer Protection Council, as may be specified by Central Government to be necessary and expedient for the welfare of consumers.

[F. No. 313|390-CX.10(Pt.)]

JATINDERPAL SINGH, Under Secy.

FORM—AI

(See rule 8 of Consumer Welfare Fund Rules, 1992)

Important : Please fill up this form, furnishing correct details sought for, based on verifiable true state of affairs without causing suppression of any material information which, if resorted to, shall entail prosecution under the Act.

1. Name and full address of the applicant :

2. Status of the applicant under clause (b) of rule 2 :

3. Purpose for which the amount is required (Please state the purpose in brief) :

4. Amount of grant required :

5. Nature of activity pursued :

6. The total amount incurred/invested by the applicant, or likely to be incurred by the applicant :

7. Sources of funding of balance amount :

8. Time schedule of the activities arranged :

9. Details of prosecution, if any, in a court of law launched against the applicant, during last five years

DECLARATION

(To be signed by the applicant or its authorised agent) the particulars heretoforce given, are true and correct. Nothing material has been suppressed The financial assistance, if provided, shall be put to the declared use for promotion and protection of rights of consumers, or for standard marks. (Strike out whichever is inapplicable).

Dated————

Station————

Applicant.

To

Member-Secretary,
Committee (Consumer Welfare Fund),
Krishi Bhawan,
New Delhi.

Recommendation of Member-Secretary.

Factual details furnished in the application have been varified in consultation with Ministry/Department of————agency, who is/are administratively concerned in the matter, and found to be correct/incorrect. The claims of the applicant are recommended for consideration by the committee. (Please give reasons in support of your recommendation).

Member—Secretary.

Committee (Consummer Welfare Fund)

Recommendation of the Committee

Recommended for grant of Rs.———— (Rupees————in words) from the Consumer Welfare Fund, as discussed in the meeting held on———— (date).

Chairman

Committee.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992